1. सार्वत्रिक परीक्षा में श्रेणी (Division) निर्धारण के लिए पूर्णांक 650 हैं। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए क्रमशः 60, 45 तथा 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है। विशेष योग्यता 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर केवल ऐच्छिक विषय/विषयों में दी जाती है। परीक्षा श्रेणी 3 से 6 तक के परीक्षार्थियों के लिए यह नियम लागू नहीं होंगे।

2. परीक्षा श्रेणी का तात्पर्य परीक्षा में सम्मिलित निम्न प्रकार के परीक्षार्थियों से है–
   (क) सम्पूर्ण विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी ....
   (ख) श्रेणी (Division) सुधार हेतु पुनः सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी ....
   (ग) द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी ....
   (घ) अतिरिक्त विषय/विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी ....
   (ङ) मान्य प्राच्य भाषा तथा सैकण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अंग्रेजी (अनिवार्य) तथा विशेष अंग्रेजी में प्रविष्ट होने वाले तथा समकक्ष परीक्षा में बिना हिन्दी (अनिवार्य) के उत्तीर्ण छात्र जो केवल हिन्दी (अनिवार्य) विषय में प्रविष्ट हो रहे हैं ....
   (च) अंकों में सुधार हेतु एक या अधिक विषयों में (परन्तु सम्पूर्ण विषयों में नहीं) सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी ....
   (छ) वर्ग परिवर्तन कर पुनः उसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी ....

3. प्राप्तांको की पुनः गणना हेतु आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में परीक्षाफल घोषणा की तिथि से एक माह की अवधि में पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रत्येक विषय के लिए शुल्क रूपये 50/- निर्धारित है।

4. **यदि कभी यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अंकतालिका सहित अथवा किसी अन्य प्रलेख में की गई प्रविष्टि में हेरफेर अथवा रद्दोबदल किया है तो यह दण्डनीय कार्य माना जायेगा तथा दोष की गम्भीरता के परिमाण को दृष्टि में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।**

5. अनिवार्य विषय के सम्मुख COMP. अंकित किया गया है।

6. परीक्षा में प्रविष्ट होने के उपरान्त भी परीक्षार्थी अंकतालिका में किसी विषय में अनुपस्थित पाता है तो वह केन्द्राधीक्षक से उपस्थिति प्रमाणित कराकर अधिकतम तीन माह की अवधि में सूचित करें।

7. **ABBREVIATIONS :**

D	– विषय में विशेष योग्यता	I	– प्रथम पत्र
G	– सानुग्रह अंक	II	– द्वितीय पत्र

विद्यालय प्रधान/केन्द्राधीक्षक द्वारा पृष्ठांकन

परीक्षार्थी जिसके हस्ताक्षर नीचे दिये हुए हैं को प्रमाण-पत्र दिनांक ..19/6/2000.. को दिया गया।

प्राचार्य
सावित्री क. सीनियर माध्य. विद्यालय, अजमेर

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर — विद्यालय प्रधान/केन्द्राधीक्षक के हस्ताक्षर विद्यालय की रबड़ मोहर

(परीक्षार्थी को यदि मूल प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित उक्त पृष्ठांकन के बिना दिया गया तो यह अमान्य होगा।)